शीर्ष प्राथमिकता समयबद्ध

संख्या-23 /2020/बी-2-102/दस-2020-आर-2/2016टी.सी.

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 29 मई, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-2020 के चतुर्थ (अंतिम) त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-टी.एम.-2/ग्रुप-4ध्लेखामिलान/एफ.-18/5811, दिनांक 22.5.2020 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रक्रिया के क्रम में माह जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनांक 03 जुलाई, 2020 से 15 जुलाई, 2020 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2019-2020 के चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2020 से मार्च, 2020) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करायें तथा जिस समय लेखा मिलान दल, लेखा मिलान हेतु महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद जायें तब वे अपने साथ डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4 एवं बी.एम.-13) ले जाना सुनिश्चित करें ताकि लेखा मिलान में पायी जाने वाली विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी को उसी समय उपलब्ध करा दिये जायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-81 एवं 83 में अपने विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित लेखाशीर्षों के व्यय के आंकड़ों का मिलान कार्य भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के साथ ही सुनिश्चित कराया जायेगा। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़ें अन्तिम समझे जायेंगें।

...../2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य दिनांक 15.7.2020 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लेखा मिलान कार्य की उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी महालेखाकार कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 23 /2020/ बी-2-102(1) / दस-2020-आर-2/2016 टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पत्र संख्या-टी.एम.-2/ग्रुप-4छलेखामिलान/एफ.-18/5811, दिनांक 20.05.2020 के संदर्भ में।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)- द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

...../3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या–23/2020/बी–2–102/दस–2020–आर–2/2016टी.सी., दिनांक 29 मई, 2020

वित्तीय वर्ष 2019–2020 से सम्बन्धित माह जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1	आबकारी	03.07.2020
2	आवास	
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5	ऊर्जा	
6	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7	रेशम विभाग	
8	कृषि विभाग	
9	परती भूमि विकास	
10	समन्वय विभाग	
11	कृषि विपणन विभाग	
12	भूमि विकास एवं जल संसाधन	06.07.2020
13	ग्राम्य विकास विभाग	
14	भूगर्भ जल विभाग	
15	लघु सिंचाई	
16	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17	पंचायती राज विभाग	
18	पशुधन	
19	दुग्ध विकास	
20	मत्स्य	
21	सहकारिता	
22	कार्मिक एवं नियुक्ति	07.07.2020
23	खाद्य एवं रसद	
24	खेल एवं युवा कल्याण	
25	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	
26	गृह (कारागार)	
27	गृह (पुलिस)	
28	नागरिक सुरक्षा	
29	राजनीतिक पेंशन	
30	गृह (गोपन)	
31	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32	परिवार कल्याण विभाग	
33	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

34	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	08.07.2020
35	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
36	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	
37	नगर विकास	
38	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	
39	नागरिक उड्डयन	
40	भाषा	
41	नियोजन	
42	निर्वाचन	
43	न्याय	09.07.2020
44	परिवहन	
45	पर्यावरण	
46	पर्यटन विभाग	
47	प्रशासनिक सुधार	
48	प्राविधिक शिक्षा	
49	अल्प संख्यक कल्याण	
50	महिला एवं बाल विकास	
51	राजस्व	
52	सहायता एवं पुनर्वास	
53	राष्ट्रीय एकीकरण	
54	लोक निर्माण	10.07.2020
55	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56	वन	
57	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	
58	विधान परिषद सचिवालय	
59	विधान सभा सचिवालय	
60	विधायी एवं संसदीय कार्य	
61	वित्त विभाग	
62	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	
63	बेसिक शिक्षा	
64	माध्यमिक शिक्षा	
65	उच्च शिक्षा	
66	श्रम	
67	सचिवालय प्रशासन	13.07.2020
68	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
69	विकलांग कल्याण	
70	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
71	समाज कल्याण	
72	जनजाति कल्याण	
73	सतर्कता विभाग	
74	सामान्य प्रशासन	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

75	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल)	
76	सार्वजनिक उद्यम	
77	सूचना	14.07.2020
78	संस्थागत वित्त	
79	स्टाम्प एवं पंजीयन	
80	मनोरंजन कर	
81	सैनिक कल्याण	
82	व्यापार कर	
83	सांस्कृतिक कार्य	
84	सिंचाई	
	उक्त सूची के अतिरिक्त यदि कोई विभाग शेष हो	15.07.2020

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।